

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 2021 / 119

दिनांक 01.09.2021

दावे में लिखे गए तथ्यों पर गौर किया गया। अदालत के मुताबिक यह दावा ससटेंनेबल नहीं है क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला उसके नाम दर्ज जमीन की एक्सल्यूट ऑनर है पुत्र माता के जीवनकाल में उस जमीन में हक मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह दावा खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)

